उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-70/2018/1693 /92-2-2018-58जांच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 05 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के कार्यो से संबंधित सूचना न उपलब्ध कराने, शासन तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की लगातार अवहेलना में संलिप्त रहने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञापसं0-42/2016/1512/92-2-16-58जांच/2016 दिनांक 08-08-2016 द्वारा श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-बुलंदशहर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। निलम्बन अवधि में श्री हसनैन अहमद को मुख्यालय (कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता) से सम्बद्व किया गया। सम्यक विचारोपरान्त जांच कार्यवाही में शीघ्रता के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1655/92-2-17-58जांच/2016 दिनांक 12-09-2016 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर के स्थान पर मुख्य प्राविधिक परीक्षक तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में उक्त अनुशासनिक जांच को नियमानुसार सभी कार्यवाही पूर्ण करते हुये शासनादेश संख्या-207/2017/2024/92-2-17-58जांच/2016 दिनांक 04-12-2017 द्वारा श्री हसनैन अहमद को किसी गम्भीर त्रुटि के लिये उत्तरदायी न पाये जाने पर के दृष्टिगत उन्हें भविष्य के लिये चेतावनी देते हुये उक्त अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

2- प्रकरण में श्री हसनैन अहमद के प्रत्यावेदन दिनांक 20-07-2017 तक विचार करते हुये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 (4) के नियम-54 में निहित व्यवस्था के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उनके निलम्बन अवधि दिनांक 08-08-2016 से 31-08-2016 तक को कर्तव्यार्थ सेवा अवधि मानते हुये उक्त अवधि के वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-70/2018/1693(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-बरेली द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।